संख्या : /I/2018-03/09/2015T.C.

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मण्डल आयुक्त,
कुमाऊँ/गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त स्थानीय निकाय/निगम/अर्द्धशासकीय कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : 14 मार्च, 2018

विषय :– **LED बल्ब के वितरण में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की भागीदारी–"उजाला मित्र योजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश सं0–747/I/2017-03/09/2015 दि0–16–09–2017 एवं सं0–840/I/2017-03/09/2015 दि0–31–10–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप अवगत ही हैं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52) की धारा–18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रदेश के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निकायों, निगमों एवं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में LED बल्ब, LED ट्यूबलाईट, LED स्ट्रीट लाईट एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की खपत में 25% तक की कमी लाई गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा बचत एवं विद्युत उपभोगताओं को निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के लिये "उजाला" कार्यक्रम संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 100 लाख LED बल्ब के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक लगभग 44 लाख LED बल्ब के वितरण का कार्य पूर्ण हुआ है। वर्तमान में LED बल्ब का वितरण UPCL के बिलिंग काउन्टर, डाकघर, उरेडा के जनपदीय कार्यालयों एवं पैट्रोल पम्पों के माध्यम से कराया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं तक LED बल्ब एवं अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के लिए डाकघर एवं देवभूमि सेवा केन्द्रों के माध्यम से वितरण कराये जाने के साथ–साथ LED बल्ब के वितरण में प्रदेश में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी है। इससे जहां एक ओर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक इन उपकरणों की उपलब्धता हो सकेगी वहीं दूसरी ओर पारम्परिक बल्ब के स्थान पर LED बल्ब के उपयोग से ऊर्जा की बचत के साथ–साथ विद्युत बिलों में भी कमी लाई जा सकेगी।

प्रदेश के समस्त विद्युत उपभोगताओं को LED बल्ब वितरण कराये जाने के लिये प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत "महिला स्वयं सहायता समूहों" की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने हेतु इन समूहों को LED बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री किये जाने पर Margin Money दिये जाने तथा लक्ष्यों के समय से पूर्ति करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को "उजाला मित्र" के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा राज्य सरकार की ओर से इस सराहनीय कार्य हेतु प्रमाण–पत्र दिये जाने का प्रस्ताव भी है। इससे जहां एक ओर महिला स्वयं सहायता समूहों को LED बल्ब एवं अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री से आय प्राप्त हो सकेगी साथ ही उनके द्वारा किये जाने वाले इस कार्य के सापेक्ष "उजाला मित्र" के रूप में पुरस्कार के रूप में प्रमाण–पत्र भी प्राप्त हो सकेंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दी गई सहमति के क्रम में प्रदेश के समस्त विकासखण्ड मुख्यालयों तथा नगर निकायों के कार्यालयों पर समुचित मात्रा में LED बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को LED बल्ब वितरित कराये जाने के लिये केन्द्र सरकार के उपक्रम Energy Efficiency Services Limited (EESL), Uttarakhand State Rural Livelihood Mission (USRLM) तथा उरेडा के मध्य MoU किया जायेगा तथा शहरी विकास विभाग से प्राप्त सहमति के क्रम में उक्त MoU सम्बन्धित नगर निकायों के साथ सम्पादित किये जायेंगे।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। उपकरणों की उपलब्धता एवं योजना के प्रचार–प्रसार के लिए Energy Efficiency Services Limited (EESL) से समन्वय किये जाने के लिए उरेडा नोडल विभाग होगा।

अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य हित में ऊर्जा बचत एवं प्रत्येक विद्युत उपभोगता तक LED बल्ब की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के लिये सम्बन्धित को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या–362(2)/I/2018-03/09/2015 T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Uttarakhand State Rural Livelihood Mission (USRLM).
4. प्रबन्ध निदेशक, Energy Efficiency Services Limited (EESL).
5. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी, NIC, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

F:\Neena\G.O\GO-6 (2018).doc